UPHR010009692016

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) हरदोई।

(14 वें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत सृजित)

एस०टी०नंबर–164/16

राज्य बनाम राजपाल

JO Code–UP1577

25–02–2021

1. आज पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई।

2. प्रार्थनापत्र 16 ब वादी मुकदमा छबिराम की ओर से प्रस्तुत करके कहा गया है कि प्रार्थी/याची के द्वारा उपरोक्त वाद में एन०सी०आर० संख्या 168/15 राजपाल पुत्र मकरन्द, जबर सिंह, माधौराम, उमेश पुत्रगण राजपाल के विरूद्ध थाने पर दर्ज करायी गयी थी, और प्रार्थी व प्रार्थी के गवाहों व चोटहिल के उपरोक्त सभी लोगों के द्वारा मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचायी गयी थी। मगर विवेचक के द्वारा उपरोक्त मुल्जिमानों में से केवल राजपाल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। उक्त वाद में पी०डब्लू० 1 छविराम (वादी मुकदमा) तथा चोटहिल विद्याराम का बयान न्यायालय में दर्ज किया जा चुका है। उपरोक्त दोनों गवाहों के द्वारा सभी मुल्जिमानों के द्वारा मारपीट करना कहा गया है, तथा चोटहिल विद्याराम की चोटों के मेडिकल के अनुसार एक व्यक्ति के द्वारा इतनी ज्यादा चोटें पहुंचाया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थित में उपरोक्त वाद में जबरसिंह, माधौराम, उमेश पुत्रगण राजपाल को तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत कर यह कहा गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमा का नामजद अभियुक्त है। प्रार्थी के विरूद्ध गलत धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। छविराम द्वारा धारा 161 सी०आर०पी०सी० के बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजपाल पुत्र विद्याराम को चोटें पहुंचायी गयी है घटना के समय पी०डब्लू० 1 छविराम अपने भाई सरनाम के साथ खेतों पर काम कर रहा था इसलिये पी०डब्लू० 1 के बयान से अन्य व्यक्तियों की नामजदगी गलत है और पी०डब्लू० 1 ने भी on Oath statement में भी धारा 161 सी०आर०पी०सी० के अनुरूप बयान

`

दिया है इस कारण धारा 319 सी०आर०पी०सी० का प्रार्थना पत्र बयान व साक्ष्य के अभाव में बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है। पी०डब्लू० 2 का on Oath statement भी धारा 161 सी०आर०पी०सी० के समानान्तर है तथा घटना की साक्ष्य जिस तरह एकत्रित की गयी है जिसके आधार पर राजाराम व विद्याराम पी०डब्लू० 2 के मध्य मारपीट हुयी है दोनों व्यक्तियों को चोटे आयीं हैं। घटना एक पर एक हुयी है इसलिये धारा 319 सी०आर०पी०सी० के प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा इतनी चोटें नहीं पहुंचायी जा सकती है। इस कथन से स्पष्ट है कि विवेचक महोदय की विवेचना संदेहास्पद है और चोटहिल वादी का बयान भी संदेहास्पद है जिसके अनुसार निर्दोष व्यक्ति को बगैर साक्ष्य तलबी होना न्यायहित में आवश्यक नहीं है। आपत्ति एवं विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के अनुसार वादी का प्रार्थना पत्र धारा 319 सी०आर०पी०सी० खारिज किये जाने योग्य है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण अपराध संख्या 703/15 अंतर्गत धारा 308,325,324,323 504, 506 आई०पी०सी० विरूद्ध राजपाल पुत्र मकरंद के विचारण के स्तर पर इस न्यायालय में लम्बित है। जिसके विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 4/16 दिनांकित 09–01–2016 प्रस्तुत की गयी थी। उक्त प्रकरण में विवेचनोपरांत विवेचक ने अभियुक्त राजपाल द्वारा ही उपरोक्त धाराओं का विधि विरूद्ध अपराध कारित किया जाना बताते हुये विचारण की मांग की थी। न्यायालय द्वारा सत्र सुपुर्दगी के उपरांत दिनांक 03–05–2016 को उक्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन किया गया और उसी तिथि में उपरोक्त तथ्यों का प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात वादी मुकदमा छविराम एवं चुटहिल साक्षी(पीड़ित विद्याराम) बतौर अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 एवं पी०डब्लू० 2 परीक्षित एवं प्रतिपरीक्षित कराये गये। प्रार्थी छविराम द्वारा प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रस्तुत करते हुये इस प्रकरण में सम्मिलित अन्य अभियुक्तगण माधौराम, जबरसिंह, उमेश पुत्रगण राजपाल को भी वर्तमान अभियुक्त के साथ विचारण करने की मांग की गयी है और उनके विरूद्ध पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये उन्हें बतौर अभियुक्त तलब किये जाने की याचना की गयी है।

5. उक्त परिस्थितियों में धारा 319 दं०प्र०सं० के प्रावधान का उल्लेख समीचीन है। धारा 319 सी०आर०पी०सी० प्रावधानित करती है कि

(1)जहां किसी अपराधकी जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह

`

प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है। (2) जहां ऐसा व्यक्ति----

6. उक्त प्रावधान के दृष्टिगत स्पष्ट है कि इस धारा का उपबंध न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, कार्यवाही करने के लिए सशक्त करता है, जो अभियुक्त नहीं है, यदि साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, जिसका विचारण ऐसे मुख्य अभियुक्त के साथ जिसके विरूद्ध जांच या विचारण किया जा रहा है, किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही नये सिरे से प्रारम्भ हो जाती है। प्रश्नगत प्रकरण में उक्त विधिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों को देखा जाना सम्यक प्रतीत होता है।

7. इस प्रकरण में वादी मुकदमा छविराम द्वारा दिनांक 01–10–2015 को थाना हरपालपुर में तहरीर देते हुये यह अवगत कराया गया है कि उसी दिन समय करीब आठ बजे उसके चाचा विद्याराम अपने दरवाजे पर मौजूद थे। पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी राजपाल पुत्र मकरन्द, जबरसिंह, माधौराम एवं उमेश पुत्रगण राजपाल लाठी–डण्डों से लैश होकर गाली–गलौज करते हुये उसके चाचा को मारा–पीटा। जिससे उन्हें काफी चोटें आयीं। जब उन्होनें शोर मचाया तो वादी मुकदमा सहित कई ग्रामीण मौके पर आ गये। इस प्रकरण में चोटों के परीक्षण के बाद संज्ञेय अपराध पाते हुये पुलिस ने उसे अपराध संख्या के रूप में परिवर्तित करने के साथ विवेचना की और सिर्फ अभियुक्त राजपाल के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

8. विचारण के दौरान वादी मुकदमा ने बतौर पी०डब्लू० 1 स्वयं को परीक्षित एवं प्रतिपरीक्षित कराया। अपनी मुख्य परीक्षा में इस साक्षी ने स्पष्ट किया है कि घटना के दिन मैं अपने घर पर था मेरे चाचा विद्याराम घर के पिछले वाले हिस्से में भैंस दुह रहे थे। लगभग सात बजे का समय था। मुल्जिमान राजपाल, जबरसिंह, माधौराम एवं उमेश चाचा विद्याराम को गाली–गलौज करने लगे। मुल्जिमान और मेरे चाचा के मध्य घर के आगे की जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। गाली–गलौज करने पर मेरे चाचा के मना करने पर मुल्जिमान राजपाल ने ईंट से व जबरसिंह, माधौराम ने लाठी–डण्डों से मेरे चाचा को मारा पीटा। मुल्जिमानों की मारपीट से मेरे चाचा मौके पर बेहोश होकर गिर गये थे।

`

चाचा के चिल्लाने पर मैं पहुंच गया था। मैनें मुल्जिमानों को चाचा को मारते–पीटते देखा था। मैं अपने भाई सरनाम के साथ चाचा को लेकर थाने गया था और रिपोर्ट लिखायी थी। अपनी प्रति परीक्षा दिनांक 30–07–2016 में इस साक्षी ने घटना का समय और मुल्जिमानों द्वारा घटना कारित किये जाने और उसमें जबरसिंह, माधौराम व उमेश सिंह द्वारा मारपीट किये जाने के कथन को फिर दोहराया है और उनके नामों की पुष्टि की है।

9. अग्रेतर पीड़ित और चुटहिल विद्याराम ने स्वयं को बतौर पी०डब्लू० 2 परीक्षित एवं प्रतिपरीक्षित कराया। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में उसने कहा है कि अपने गांव के राजपाल, जबरसिंह, माधौराम एवं उमेश को जानता पहचानता हूं। यह मेरे गांव के रहने वाले हैं। घटना लगभग 7–8 बजे की थी। मेरे घर के सामने की जमीन जो जमीन पड़ी है उस पर मैं अपनी गाय लगा रहा था। यह जमीन मेरी भूमिधरी का नंबर है तथा राजपाल सिंह इसको अपने अपनी जमीन बता रहे हैं तथा यह लोग उस समय ट्रैक्टर–ट्राली पर मक्के के पेड़ लादकर लाये थे। और उसी जमीन पर खड़ा कर रहे थे। मैनें उनकी ट्राली खड़ी करने से मना किया वहीं पर यह लोग मक्के के पेड़ उतारने लगे जब मैनें फिर उनको मना किया तो राजपाल नीचे उतर आये। राजपाल लाठी लेकर आये और मुझे मारने लगे। फिर उपरोक्त सभी मुल्जिमान मुझको लाठी–डण्डों व ईंटों से मारने लगे। ईंट मेरे सिर व मुंह पर लगने से मैं शून्य सा हो गया था और मेरे मुंह पर ईंट लगी थी। मैं लड़खड़ाते हुये और चिल्लाते हुये अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और बेहोश हो गया था। उसके बाद मेरे भतीजे मुझे अस्पताल ले गये थे। अपनी प्रति परीक्षा दिनांकित 08–12–2017 में इसने कहा है कि मैं गाय दुह रहा था तब राजपाल ने मुझे मारा था। राजपाल और राजपाल के तीनों लड़कों ने मुझे मारा था। जबरसिंह ने लाठी मारी थी। यह लोग आधा घण्टे तक मारते रहे थे। दूध का कमण्डल मेरे हाथ में था जो फैल गया था। मेरा भतीजा छविराम घटना के तुरंत बाद आ गया था और श्यामसिंह, शेरसिंह घटना के तुरंत बाद आ गये थे। जबरसिंह ने लाठी–डण्डा ईंट से मारा था। उमेश ने ईंट से मारा था। माधौराम और राजपाल ने ईंट से मारा था और यह सभी बातें उसने छविराम को भी बतायी थी।

10. इस प्रकार प्रार्थना पत्र 16 ब में वर्णित अभियुक्तगण जबरसिंह, माधौराम एवं उमेश पुत्रगण राजपाल का नाम न केवल वादी मुकदमा की तहरीर में उल्लिखित किया गया है बल्कि उनकी विशिष्ट भूमिका का वर्णन भी उसमें किया

`

गया है। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत दोनों ही महत्वूपर्ण साक्षियों वादी मुकदमा एवं पीड़ित साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों में ही अन्य तीन अभियुक्तों के घटना में शामिल होकर वर्तमान अभियुक्त राजपाल के साथ समान आशय से वही अपराध कारित किया जाने का समर्थन किया है।

11. बचाव पक्ष की तरफ से अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुये यह कहा गया है कि धारा 161 सी०आर०पी०सी० में इन साक्षियों ने राजपाल के पुत्रों तीनों का नाम नहीं लिया है। पी०डब्लू० 2 ने भी धारा 161 के बयान में राजपाल और विद्याराम के बीच मारपीट होने की बात कही है और घटना एक पर एक हुयी है जिससे 319 सी०आर०पी०सी० का कथन सही नहीं है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि धारा 161 के अधीन परीक्षा के प्रकरण पर किसी साक्षी की उत्प्रेरणा पर धारा 319 के तहत आदेश पारित किया जाना न्यायानुमत नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे ही एक प्रसंग में अपने विधिक दृष्टांत **मो० सफी बनाम मो० रफीक AIR** 2007 **S.C. 1899** में यह अवधारित किया है कि अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने के लिए विवेकाधिकार के प्रयोग में, यह आवश्यक है कि न्यायालय संतुष्ट हो जाये कि इस बात की संभावना थी कि इस प्रकार समन किये गये अभियुक्त की दोषसिद्धि हर प्रकार से संभाव्य थी और ऐसी संतुष्टि साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के बाद ही पूरी हो सकती है। इस प्रकरण में भी साक्षी की प्रति परीक्षा हो चुकी है और उनके द्वारा धारा 319 के प्रार्थना पत्र में वर्णित अभियुक्तों का नाम बार–बार घटना में शामिल होना बताया गया है। इस कारण सिर्फ धारा 161 में किये गये बयान के आधार पर उनकी संलिप्तता नहीं होने का अवधारण न्याय संगत नहीं होगा।

12. उक्त प्रकरण में धारा 319 दं०प्र०सं० की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि क्या ऐसे व्यक्ति, जो आरोप पत्र में नामित नहीं है, के विरूद्ध प्रथम दृष्टया इतना साक्ष्य उपलब्ध है जो उसके विरूद्ध आरोप विरचन हेतु पर्याप्त था या उसे अन्य आरोपित अभियुक्त के साथ समाहित कर उसका विचारण किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विधिक दृष्टांत **माइकल मैकाडो बनाम सी०बी०आई० AIR** 2000 **S.C. 1127** में यह अभिमत दिया है कि न्यायालय को धारा 319 दं०प्र०सं० के स्तर पर यह युक्तियुक्त संतुष्टि होनी चाहिये कि प्रार्थना पत्र में नामित व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है और इस अपराध के लिये उसे पूर्व से आरोपित अभियुक्तों के साथ विचारण किया जा

`

सकता है।

13. उक्त सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य 2014 (85) ए०सी०सी० 313** में वृहद मार्गदर्शन देते हुये यह अवधारित किया है कि Thus, we hold that though only a prima facie case is to be established from the evidence led before the court not necessarily tested on the anvil of cross examination, it requires much stronger evidence than mere probability of his complicity. The test that has to be applied is one which is more than prima facie case as exercised at the time of framing of charge, but short of satisfaction to an extent that the evidence, if goes unrebutted, would lead to conviction. In the absence of such satisfaction, the court should refrain from exercising power under section 319 cr.p.c.. In section 319, Cr.P.C. the purpose of proving 'if it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offence' is clear from the words "For which such person could be tried together with the accused." The words used are not for which such person could be convicted. There is, therefore, no scope for the court acting under section 319 Cr.p.c. to from any opinion as to the guilt of the accused.

14. एक अन्य विधिक दृष्टांत **सुनील कुमार गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य दाण्डिक अपील सं० 395/19 निर्णीत दिनांकित 27.02.2019** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 319(1)दं०प्र०सं० के अंतर्गत न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विचारण कर सकती है जो अभियुक्त के रूप में नामित न हो, किन्तु साक्ष्य से उसके द्वारा किसी अपराध को किया जाना दर्शित होता हो। इस प्रकार स्थापित विधि के अनुसार धारा 319 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालय को यह संतुष्टि होनी चाहिये कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत

`

साक्ष्य, यदि अखण्डित रहता है तो यह ऐसे प्रस्तावित अभियुक्त की दोषसिद्धि की ओर ले जायेगा।

15. प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों और धारा 319 दं०प्र०सं० के प्रावधान एवं माननीय उच्चतम के उपरोक्त विधिक दृष्टांतों के समवेत विश्लेषण से इस प्रकरण में यह तथ्य दर्शित हो रहा है कि वर्तमान अभियुक्त राजपाल द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वर्णित आपराधिक कृत्यों में उसके पुत्रगण जबरसिंह, माधौराम एवं उमेश का बराबर सहयोग रहने का साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है और इन अभियुक्तगणों की संलिप्तता उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसी विदित भी होती है जो यदि अखण्डित रहे तो उन्हें दोषसिद्धि की तरफ ले जा सकती है।

16. अतः अभियुक्तगण जबरसिंह, माधौराम एवं उमेश की उक्त आपराधिक कृत्य में संलिप्तता के दृष्टिगत यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में वर्तमान अभियुक्त राजपाल के साथ ही इनका विचारण किया जाये। तदनुरूप प्रार्थना पत्र 16 ब स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण जबरसिंह, माधौराम एवं उमेश तलब किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

17. प्रार्थना पत्र 16 ब स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण जबरसिंह, माधौराम एवं उमेश को अपराध संख्या 703/15, अंतर्गत धारा 308, 325, 324, 323, 504, 506 आई०पी०सी०, थाना हरपालपुर में विचारण के लिए तलब किया जाता है। अभियुक्तगण को समन जारी हो। पत्रावली दिनांक 17–03–2021 को हाजिरी मुल्जिम में पेश हो।

(वायु नन्दन मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ 0 टी0 सी0)
हरदोई।
(14 वें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत सृजित)

`